



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY

(बीमा दलाल) विनियम, 2002

(Insurance Brokers) Regulations, 2002

प्ररूप ख
उपविनियम (11) देखें
FORM B
(see regulations 11 & 16)

432

अनुज्ञप्ति
LICENCE

1. प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा उस अधिनियम के अधीन ~~प्रत्यक्ष~~ दलाल के रूप में कार्य करने के लिए बीमाजीनी इश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. को अनुज्ञप्ति प्रदान करता है।
1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act 1938 (4) of 1938 the Authority hereby grants a licence to BIMAJINI INSURANCE BROKING PVT. LTD. to act as DIRECT broker under that Act.
2. बीमा दलाल का अनुज्ञप्ति कोड IRDA/DB 498/11 है।
2. Licence Code for the Insurance broker is IRDA/DB 498/11
3. यह अनुज्ञप्ति 27-4-2012 से 26-4-2015 तक विधिमान्य होगी।
3. This licence shall be valid from 27-4-2012 to 26-4-2015
4. यह अनुज्ञप्ति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के अध्याधीन है, और इसे किसी अन्य अधिनियम, नियम या विनियम के अनुपालन में या उसके अनुरूप होने के रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा।
4. This licence is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity with any other Act, rules or regulations.

आदेश द्वारा
By Order

स्थान
Place : हरियाणा
तारीख
Date : 27-4-2012

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के निमित्त और उसकी ओर से
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority